छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 499/2006</u>

श्री व्ही.के.सावड़े,
बी–12, फेज वन,
छत्तीसगढ़ होटल के पीछे,
विशाल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि
विकास निगम, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 08 मार्च 2007)

श्री व्ही.के.सावड़े के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री व्ही.के.सावड़े के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 07–07–2006 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही। जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम, रायपुर के द्वारा निगम के संचालक मण्डल द्वारा निगम के सेवा विनियम के संबंध में लिये गये निर्णय की छायाप्रति तथा अपीलार्थी के लंबित वेतनवृद्धियों, चिकित्सा अवकाश एवं निलंबन अवधि एरियर्स भुगतान के संबंध में प्रकरण परीक्षण किया जा रहा है कि सूचना अपीलार्थी को प्रदान की। अपीलार्थी ने दिनांक 07–07–2006 के आवेदन–पत्र में विनियम की सत्यापित प्रति मांगी थी, जो कि उसे न दी जाकर केवल निगम के द्वारा किये गये प्रस्ताव की छायाप्रति दी गई। अपीलार्थी के द्वारा आवेदन–पत्र दिनांक 11–07–2006 के द्वारा अगस्त 2005 से जून 2006 तक प्रदायकों को उनके देयकों के विरूद्ध किये गये भुगतान संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में चाही थी, जो कि अपीलार्थी को नहीं दी गई। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम, रायपुर को अपील प्रस्तुत की। प्रबंध संचालक के द्वारा अपीलीय अधिकारी के रूप में आदेश निर्धारित अवधि के अंदर पारित नहीं किया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 03–01–2007 को आयोग के द्वारा आदेश दिया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिया है, किन्तु उसमें परीक्षण किया जा रहा है यह लिखा है तथा नियमों की प्रति के लिये फीस की मांग की गई है। वह प्रदायकों की जानकारी के लिये धारा–16(iv) में व्यवसायिक हित में जानकारी दिये जाने से छूट होना बतलाया है। आयोग ने यह माना

कि इस प्रकरण में जन सूचना अधिकारी के द्वारा विलंब किया गया है, अतः आयोग के द्वारा समस्त जानकारी 15 दिन में अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान करने के आदेश दिये। आयोग ने यह भी आदेश दिये कि धारा–16(iv) व्यवसायिक हित की छूट से संबंधित नहीं है। अतः प्रदायकों की जानकारी के लिये छूट का प्रश्न नहीं है। आयोग के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया गया तथा यह भी निर्देश दिया गया कि जानकारी निःशुल्क दिया जावे। आयोग के द्वारा अपीलार्थी को विलम्ब से जानकारी देने तथा पूर्ण जानकारी नहीं देने के कारण जन सूचना अधिकारी को 10,000/– रुपये की शास्ति क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी करने के आदेश दिये गये। दिनांक 20–02–2007 को कारण बताओ सूचना–पत्र पर एवं प्रकरण में दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि आयोग के निर्देश के बाद भी जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम, रायपुर ने निर्धारित प्रपत्र में निःशुल्क जानकारी नहीं दी तथा अभी तक बिन्दु क्रमांक–3 की जानकारी उसे प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी श्री एस.के.अग्रवाल के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–16(iv) के अनुसार व्यावसायिक हित से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार के अंतर्गत छूट प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–16 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति तथा सेवशर्तों से संबंधित है। **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(घ) में वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा के प्रकटन से संबंधित जानकारी को तभी छूट है, जबकि उससे किसी की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है तथा ऐसी जानकारी दिया जाना लोकहित में उचित नहीं है।** प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी पक्ष के द्वारा प्रतियोगी स्थिति के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है और न ही यह स्पष्ट किया है कि जानकारी देना लोकहित में क्यों उचित नहीं होगा। अतः जन सूचना अधिकारी का यह तर्क कि व्यावसायिक हित में जानकारी नहीं दी गई, विधिसंगत् नहीं है। आयोग के द्वारा दिनांक 03–01–2007 को स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि जानकारी व्यावसायिक हित से संबंधित नहीं है, अतः निःशुल्क प्रदान की जावे। इसके पश्चात् भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को जानकारी नहीं दी गई। कारण बताओ सूचना–पत्र के उत्तर में जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम के विभाजन में मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के लिये भारमुक्त किया गया था। किन्तु अपीलार्थी के द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में याचिका दायर की। जहां तक सूचना का अधिकार का संबंध है अपीलार्थी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किस राज्य में आबंटन की पात्रता है, यह प्रश्न आसंबद्ध है। आयोग को केवल इस बात पर विचार करना है कि अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में जन सूचना अधिकारी के द्वारा वांछित जानकारी दी गई अथवा नहीं।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को तीनों बिन्दुओं की जानकारी निर्धारित अवधि में नहीं दी गई। आयोग के निर्देश के बाद भी उसे जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम, रायपुर के द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर जानकारी अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में नहीं दी गई है। अपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि

उसे प्रथम दो बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रदायकों से संबंधित भुगतान की जानकारी उसे अभी तक नहीं मिली है। अतः जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में निःशुल्क जानकारी प्रदान करें। चूंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी निर्धारित अवधि में नहीं दी गई है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20 के अंतर्गत श्री एस.के.अग्रवाल, जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम, रायपुर को 5,000/– रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने में मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है, अतः उसे 250/– रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम, रायपुर को आदेशित किया जाता है।

5/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 08–03–2007
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त